

17
24

वकील (नामल 390) मूलपत्रों अंतिम रूप से B की
दिया जा चुका है मूल वर के अभाव में एम साठपत्र पर
आपकी वकील कोई भी नहीं है अतः प्रहारापत्र
मूल वर के अभाव में पत्रिका दिया जाता है पत्रिका
के अंतर्गत चका मूल वर की पत्रिका के साथ
दिलवाते हैं

उपखण्डाधिकारी
बिजनपुर (सज0)